आदेश की क्र० सं० और तारीख	वाद सं० - 162/2022 आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर U/S 144 आदेश	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.1.23	प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी, बगोदर एवं अंचल अधिकारी, बगोदर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक (प्रथम पक्ष) के अनुसार प्रश्नागत भूमि मौजा- मरमुने में स्थित खाता-1, प्लाट- 2976 की है। उक्त जमीन आवेदक को भूतपूर्व जमींदार द्वारा सादा हुकमनामा के माध्यम से हासिल है तथा जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय में कायम है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि प्रश्नागत भूमि उन्हें सादा हुकमनामा के माध्यम पदमनाथ कुंवरी से जमीन हासिल है जिसका रकबा 7.40 एकड़ है। लगभग 05.40 एकड़ जमीन झारखण्ड सरकार ने पोलटेक्निक कॉलेज बनाने के लिये अधिग्रहण किया है तथा शेष 2 एकड़ भूमि पर द्वितीय पक्ष जबरन दखल कब्जा करना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष का जमीन प्रथम पक्ष के जमीन से सटा हुआ है तथा	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष का 3.05 एकड़ कि जमीन है जिसमें से कॉलेज हेतु 2.50 एकड़ जमीन का अभिग्रहण किया गया है तथा शेष भूमि पर द्वितीय पक्ष के भाई ले०यराम मिस्त्री का मकान बना हुआ है तथा रास्ता रखे हुये है। प्रथम द्वितीय पक्ष अपनी जमीन पर न जाकर उनके जमीन में कब्जा कर रहे हैं। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में हुकमनामा की छाया प्रति, राजस्व लगान रसीद सं०- 5976342 एवं 083819 की छाया प्रति तथा ऑनलाईन पंजी-II की छाया प्रति दाखिल किया गया है।. द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि उन्हें उनके पूर्वज को भूदान यज्ञ कमिटि के दान पत्र के माध्यम से वर्ष 1958 को हासिल है जिसकी चौहद्दी उ० - रेवा बढ़ई, द.- रेवा बढ़ई पू० - रास्ता तथा प. रेवा बढ़ई है। द्वितीय पक्ष के द्वारा भूदान पर्चा की छाया प्रति एवं फार्म-10 की छाया प्रति	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष के द्वारा व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में स्वत्व वाद सं० 51/2015 ~~दाखिल~~ दायर किया गया है जिसमें जमीन का विवरण में रकबा 7.30 एकड़ बताया गया है जबकि प्रश्नगत वाद में रकबा 7.40 एकड़ बताया गया है। दोनों न्यायालयों में जमीन का रकबा अलग-अलग बताया गया है, साथ ही चौहद्दी में पूर्व की ओर पुनीत बढ़ई दर्शाया गया है। पुनीत बढ़ई द्वितीय पक्ष के दादा हैं। इस प्रकार प्रथम पक्ष को इस बात की जानकारी है कि द्वितीय पक्ष की अलग जमीन है जिसमें मकान एवं सहन है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा राजस्व लगान रसीद सं०-2785459 एवं पंजी-II की छाया प्रति दाखिल करते हुये बताया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उनके पूर्वज के नाम पर कायम है तथा राजस्व रसीद अंचल कार्यालय से निर्गत होता आ रहा है।

अंचल अधिकारी, बगोदर के प्रतिवेदन का अवलोकन

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4 1	2	3
	किया। प्रतिवेदन के अनुसार खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास किस्म जंगल है जो प्रथम पक्ष के पिता डोमन मिस्त्री के नाम से सादा हुकमनामा से प्राप्त है। उभय पक्ष इस ही भूमि पर दावा कर रहे हैं, फलत: विवाद है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं दाखिल दस्तावेजों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ (i) कि प्रश्नागत भूमि के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष सादा हुकमनामा के आधार पर दावा करते हैं, परन्तु जमींदारी उन्मूलन के पश्चात कब जमाबन्दी कायम की गई थी, का ना तो कोई उल्लेख करते हैं और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। (ii) कि प्रथम पक्ष के दावे के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 1967 के पश्चात जमाबंदी कायम करने की शक्ति मात्र अनुमंडल पदा० में निहित है। प्रथम पक्ष न तो रसीद की प्रति और न ही अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को प्रस्तुत कर पाये।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	(iii) कि झारखण्ड सरकार द्वारा प्रथम पक्ष के दावे को नहीं मानते हुये उक्त भूमि के हिस्से पर पोलीटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। (iv) कि द्वितीय पक्ष को भूमि भूदान पर्चा के माध्यम से हासिल है तथा चौहद्दी भी इकरारनामा से भिन्न है। (v) कि द्वितीय पक्ष की जोत भूदान पर्चा के आधार पर कर रही है। (vi) कि प्रथम पक्ष स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रश्नगत भूखण्ड का कुल रकबा 200 ए. से अधिक है तथा एक हिस्सा में द्वितीय पक्ष के भाई का मकान बना हुआ है। (vii) कि प्रथम पक्ष ने जमीन के स्वामित्व के लिये झारखण्ड सरकार के विरुद्ध स्वत्व वाद लाये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करता है तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6	उक्त ~~आदेश~~ आदेश द.प्र.सं. की धारा - 144(4) के अंतर्गत पारित किया गया है तथा उसके प्रावधानों के अधीन है। 28/1/23 SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.01.28 17:14:08 +05:30
Location: 192.168.43.238